

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :- 520/2025

मुकेश चन्द्र मीणा

—अपीलार्थी

## बनाम

राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, कृषि उद्यानिकी एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर  
एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.02.2025

आदेश की दिनांक : 25.02.2025

## उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेश कुमार मीणा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : चेतन राम देवडा, सदस्य

असलम मेहर, सदस्य

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक कृषि अधिकारी के पद पर (मु0) धरियावद कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि0) प्रतापगढ में पदस्थापित है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मु0 रामगढ, सहायक निदेशक, कृषि (वि0) सागवाडा में किया गया, किन्तु अपीलार्थी के स्थान पर अन्य किसी कार्मिक का पदस्थापन नहीं किया गया है। अतः रिक्त पद पर स्थानान्तरण में कोई भी प्रशासनिक आवश्यकता का कारण नहीं था। उक्त स्थानान्तरण आदेश में नियमानुसार कोई स्थानान्तरण-यात्रा भत्ता भी देय नहीं किया गया है। यह स्थानान्तरण वर्तमान स्थान से 80 किलोमीटर दूर किया गया है जोकि राजस्थान सेवा नियम के नियम 17(4) का उल्लंघन है। अपीलार्थी की सेवाएँ पंचायती राज विभाग के अधीन आती हैं तथा एक जिले से दूसरे जिले में किया गया स्थानान्तरण राजस्थान पंचायतीराज

अपील संख्या 520/2025 मुकेश चन्द्र मीणा

नियम 8(3) का उल्लंघन है। अतः आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थागण को नोटिसेज जारी किये जावें।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्था विभाग के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्था विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)  
सदस्य

(चेतन राम देवडा)  
सदस्य